न्यायालय कलेक्टर, जिला–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

।।आदेश।।

गरियाबंद, दिनांक 10.04.2023

प्रकरण क्रमांक 202212220600006/अ–59 ::

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम के जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6–417/95/सात/2 बी भोपाल, दिनांक 06.04.1998 अनुसार केन्द्रीय शासन के विभागो को नाममात्र पंजीकृत मूल्य 25.00 रूपये लेकर भूमि आबंटन किये जाने हेतु उल्लेख के अनुक्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक – क्रमांक 7 अनुसार ग्राम अरण्ड तहसील राजिम में स्थित शासकीय घास/चराई मद की भूमि खसरा नंबर 260 रकबा 13.27 हेक्टेयर में से 4.10 हेक्टेयर को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वृक्षारोपण हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन आबंटन किया जाता है:–

1/ भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जावेगा तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नही किया जावेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

2/ यदि भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नही होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है, तो उक्त भूमि, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी।

3/ संबंधित विभाग को केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित होने वाले समस्त निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा

कलेक्टर
गरियाबंद (छ0ग0)

पृष्ठांक/ 1331-A /कले./वाचक/2023 गरियाबंद, दिनांक 10/04/2023

प्रतिलिपि:–

1/ वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19 नवा रायपुर, अटलनगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2/ अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

3/ वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

4/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम को मूल प्रकरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

5/ तहसीलदार राजिम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

कलेक्टर,
गरियाबंद (छ0ग0)

CamScanner